



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536]
No. 536]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 2012/चैत्र 7, 1934
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 2012/CHAITRA 7, 1934

कृषि मंत्रालय
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 मार्च, 2012

का.आ. 617(अ).—केन्द्रीय सरकार पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 14 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट प्रजातियों को उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण की पात्रता के लिए विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:—

सारणी

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकरण की पात्रता के लिए फसल प्रजातियां	अंग्रेजों में साधारण नाम	हिन्दी में साधारण नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	साइमबिडम एसडब्ल्यू.	बैंबू लीफ आर्किड या बोट आर्किड	साइमबिडम
2.	डैन्ड्रोबियम एसडब्ल्यू.	स्प्रे. आर्किड या सिंगापुर आर्किड	जीवंती
3.	वेंडा जोन्स एक्स आर.बी.आर.	वेंडा या ब्लू आर्किड	रसना

[फा. सं. 2-9/2009-एसडी-V]
एस. के. जी. राहटे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th March, 2012

S.O. 617(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 29 read with Section 14 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby specifies that the species specified in the following Table shall be eligible for registration under the said Act, namely:—

TABLE

Sl. No.	Crop species eligible for (registration)	Common name in English	Common name in Hindi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>Cymbidium Sw.</i>	Bamboo Leaf Orchid or Boat Orchid	Cymbidium
2.	<i>Dendrobium Sw.</i>	Spray Orchid or Singapore Orchid	Jeevanti
3.	<i>Vanda Jones ex R. Br.</i>	Vanda or Blue Orchid	Rasna

[F. No. 2-9/2009-SD. V]

S. K. G. RAHATE, Jt. Secy.